2

टैक्स

अखबारो मे बजट की खबरे

तुमने बजट की खबरें देखी। कही लिखा था "पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाए जाने पर रोष" तो कही लिखा था "किसान कर्ज़ मुक्ति हेतु 1,000 करोड़ रुपये"। यह सब था बजट का शोर गुल जिसमे सरकार अपनी एक साल की आमदनी (आय) और खर्च (व्यय) के बारे मे बता रही है। बजट का एक हिस्सा आमदनी का होता है - जिस मे बताया जाता है कि इस वर्ष सरकार के पास पैसे कहां-कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कर या टैक्स किस पर बढ़ाया जा रहा है और उस से कितने पैसे मिलेंगे। बजट का दूसरा हिस्सा खर्च के बारे मे जानकारी देता है कि इस वर्ष सरकार किन चीज़ों पर खर्च करेगी - जैसे रक्षा पर कितना, योजनाओं पर कितना, सरकार चलाने पर कितना आदि। तुम्हें शायद मालूम होगा कि सरकार का वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिना जाता है। तुमने चित्र मे जो बजट की खबरें पढ़ी वे 1990-91 की बजट की खबरें हैं। यानी 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1991 तक के आय और व्यय के बारे मे बताया गया है।

केंद्र सरकार का बजट केंद्र के वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं। संसद में बहस होती है और स्वीकृति मिलने पर बजट लागू होता है।

उसी तरह राज्यों में भी राज्य के वित्त मंत्री अपनी-अपनी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का बजट भोपाल मे विधानसभा में बैठे विधायकों के सामने रखा जाता है। विधानसभा में भी बहस होती है और राज्य के बजट को स्वीकृति दी जाती है।

ऊपर दिए चित्र में खबरों को पढ़ कर बताओ कि कौन-कौन सी बातें सरकार के खर्च (व्यय) के बारे में हैं।

अलग-अलग कर

तुमने खबरें पढ़ते समय देखा कि सरकार के पास आमदनी का स्रोत अलग-अलग प्रकार के कर हैं। सरकार कई तरह के कर लगाती है। जैसे :

बिक्री कर - वस्तुओं को बेचते समय यह कर लगाया जाता है।

उत्पादन कर - वस्तुओं के उत्पादन होने पर या बनाने पर यह कर लगाया जाता है।

सीमा शुल्क - दूसरे देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में लाने से पहले यह कर देना होता है।

आय कर - व्यक्तियों की वार्षिक आमदनी पर यह कर लगाया जाता है।

निगम कर - कंपनियों के वार्षिक मुनाफे पर यह कर लगाया जाता है।

बिक्री कर और उत्पादन कर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इकट्ठा करती हैं जबकि सीमा शुल्क, आय कर और निगम कर केवल केंद्रीय सरकार इकट्ठा करती है।

तुम कई दूसरे करों से परिचित हो जो कि पंचायत, नगर पलिका या नगर निगम वसूल करते हैं। ऐसे करों के पांच उदाहरण बताओ।

बिक्री कर

कमला और उसके पिताजी टी.वी. खरीदने दुकान पर पहुंचे। फरवरी का महीना था। सभी कह रहे थे कि आने वाले बजट में टी.वी. के दाम बढ़ जाएंगे। कमला के परिवार ने तय किया था कि मार्च से पहले टी.वी. खरीद लेंगे। दुकान पर अलग-अलग टी.वी. देखे। दुकानदार बार-बार कहता "इस टी.वी. का दाम टैक्स

जोड़ कर 2,500 रु. है। उस टी.वी. का दाम टैक्स जोड़ कर 3,400 रु. है।" आखिर कमला के पिताजी ने टी.वी. खरीद ही लिया। दुकानदार ने बिल दिया। उस पर लिखा था :

टी.वी.	3,000 रु.
बिक्री कर 8%	240 रु.
कुल	3,240 रु.

कमला के परिवार को टी.वी. खरीदते समय 240 रु. बिक्री कर देना पड़ा। कमला के पिताजी ने दुकानदार को 3,240 रु. दिये जिसमें से 3,000 रु. दुकानदार रख लेगा और 240 रु. बिक्री कर के पैसे सरकार को देगा।

इस तरह जब हम साबुन, तेल, जूते, खाद, दवाई, चीनी, वनस्पति आदि खरीदते हैं तो हमें बिक्री कर चुकाना होता है। दुकानदार इसे दाम में जोड़कर वसूल कर लेता है।

इन उदाहरणों से हमने देखा कि वस्तुओं की बिक्री पर सरकार कर लेती है। इसे बिक्री कर कहते हैं। इसे दुकानदार चुकाता है और खरीददार से वसूल करता है।

मध्य प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों की सरकारें अब बिक्री कर के इस रूप के बजाए व्यापारियों से अलग ढंग का कर वसूल करने की सोच रही हैं। क्या तुमने इसके बारे में सुना है?

खरीददार से बिक्री कर कैसे वसूल किया जाता है?

उत्पादन कर

वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक और टैक्स है जिसे उत्पाद शुल्क या उत्पादन कर कहते हैं। यह कारखानों में सामान के बनाने या उत्पादन होने पर वसूल किया जाता है। कारखाने में बने सामान को बेचने के लिए बाहर ले जाने से पहले उस पर उत्पादन कर भरना होता है। उत्पादन के हिसाब से कारखाने के मालिक या अफसर सरकार को इस कर के पैसे भरते हैं। परन्तु यह कर सभी वस्तुओं के उत्पादन पर नहीं लगाया जाता। कृषि के उत्पादन पर कोई कर नहीं लगता। यदि किसान गन्ने का उत्पादन करता है, तो उसे उत्पादन कर नहीं देना पड़ता। किन्तु शक्कर कारखाने में चीनी के उत्पादन पर कारखाने के मालिक को उत्पादन कर भरना होता है।

खरीददार पर भार

उत्पादन कर कारखाने से तो वसूल किया जाता है पर इस का बोझ खरीददार को ही सहन करना पड़ता है। कारखाने वाले, दुकानदार की तरह, कर की रकम लागत में जोड़ कर बेचते हैं। जैसे, अनीता बिजली कंपनी रंगीन टी.वी. बनाती है। मुनाफा जोड़ कर एक टी.वी. की लागत मानो 5,000 रु. है। कंपनी ने टी.वी. पर 2,500 रु. का उत्पादन कर सरकार को भरा। यानी टी.वी. कुल कीमत 7,500 रु. में कंपनी ने व्यापारी को बेचा। इसके बाद व्यापारी का मुनाफा और बिक्री कर जोड़ कर टी.वी. खरीददार को 9,000 रु. का पड़ा। यानी बिक्री और उत्पादन कर दोनों खरीददार को ही सहन करना होता है।

बिक्री कर और उत्पादन कर में क्या अंतर है?

उत्पादन कर का प्रभाव

किसी एक वस्तु को बनाने के लिए बहुत सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसा कि साइकिल बनाने के लिए स्टील (इस्पात) के पाइप चाहिए। स्टील के कारखाने को स्टील बनाने के लिए लोहा और कोयला चाहिए। यदि लोहे पर कर बढ़ता है तो इस का प्रभाव साइकिल पर भी होगा। साथ ही साथ लोहे से बनने वाली सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। लोहे से इस्पात बनता है और इस्पात से बनने वाली सभी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे। इस तरह लोहे पर कर बढ़ाने का प्रभाव बहुत दूर तक फैलता है।

खनिज तेल से बनने वाले पदार्थ

यहां दिए रेखाचित्र में, खनिज तेल कुएं से निकलकर हम तक कैसे और किन रूपों में पहुंचता है, यह बताया गया है।

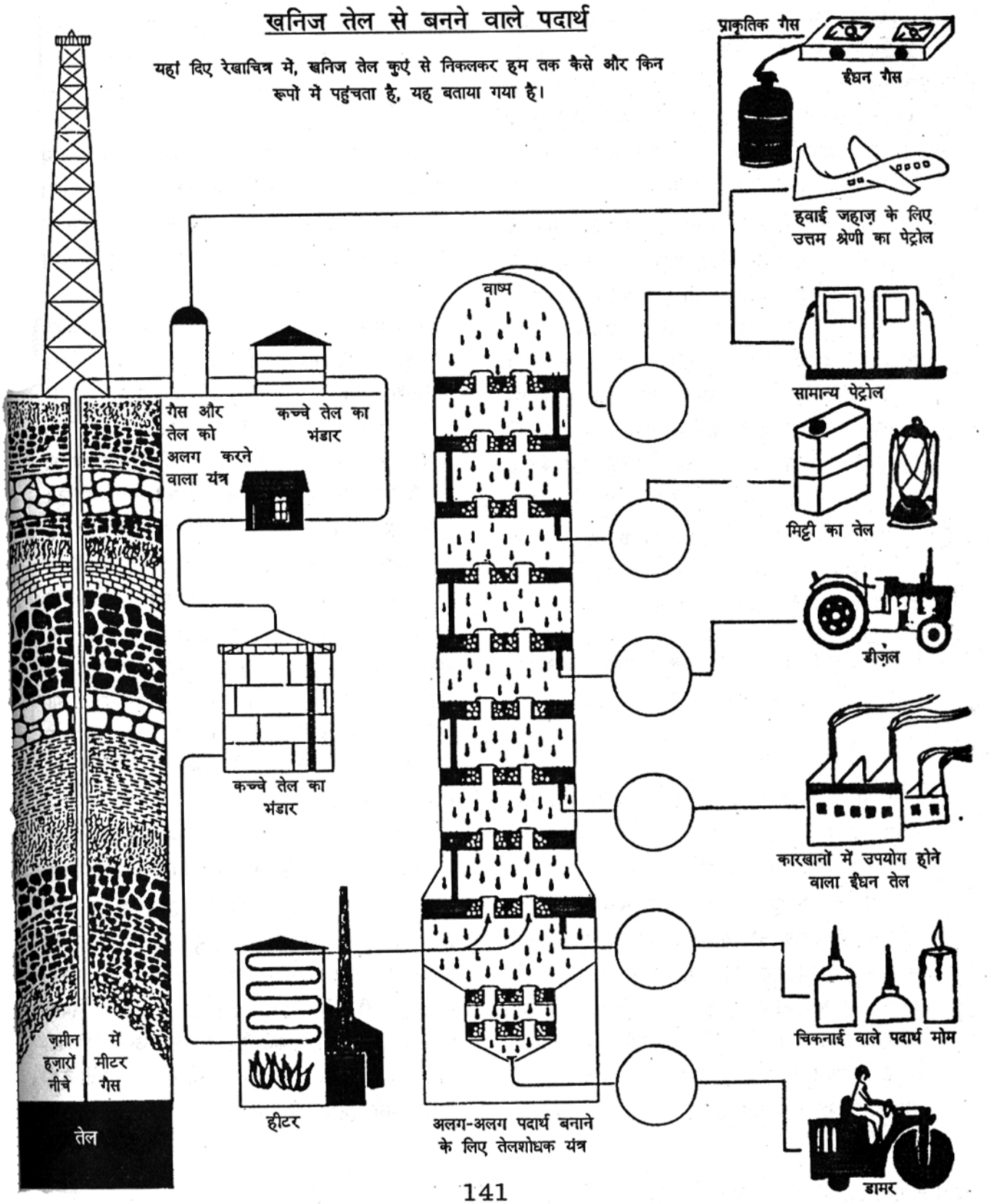

पिछले पृष्ठ पर दिये चित्र को देखो। इसमें दिखता है कि खनिज तेल से कितनी सारी वस्तुएं बनती हैं। खनिज तेल से पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े, खाद, फरनेस तेल आदि चीज़ें बनती हैं। यदि खनिज तेल पर कर बढ़ा दिया जाए तो इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे।

पेट्रोल, डीज़ल आदि अन्य वाहनों को चलाने में उपयोग किए जाते हैं। जैसा डीज़ल से ट्रक, रेलगाड़ी, ट्रेक्टर, बस, जीप आदि चलती हैं। पेट्रोल मोटरगाड़ी, स्कूटर आदि वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। डीज़ल के दाम बढ़ जाएं तो क्या होगा? फिर ट्रक, जीप आदि वाहनों को चलाना और महंगा हो जाएगा। इस से जो वस्तुएं ट्रक व रेलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं, उन को लाना ले जाना मंहगा हो जाएगा। इससे उन वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे।

किसी एक वस्तु पर उत्पादन कर बढ़ाने से उसका प्रभाव उन सभी वस्तुओं के दाम पर होता है जिन में उसका उपयोग किया जाता है।

यदि लोहे पर टैक्स बढ़े तो किन चीजों पर प्रभाव होगा? कुछ उदाहरण बताओ!

सीमा शुल्क

बिक्री कर और उत्पादन कर के अलावा एक और प्रकार का कर कुछ वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसे कहते हैं सीमा शुल्क। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो कि हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा से लौटते समय अपने साथ एक वी.सी.आर. लाता है। उसे अपने देश के हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क भरना होगा, तभी उसे वी.सी.आर. ले जाने देंगे। कई कारखानों के लिए मशीनें या कच्चा माल विदेश से मंगवाना होता है। इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगता है।

जिन वस्तुओं पर सरकार सीमा शुल्क लगाती है उन पर उत्पादन कर क्यों नहीं लगा सकती है?

आयकर

वस्तुओं पर लगाए गए करों के अलावा सरकार अन्य प्रकार के कर भी वसूल करती है जैसे, आय कर या आमदनी पर कर। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ आमदनी होती है। सरकार कुछ व्यक्तियों से उनकी आमदनी का एक हिस्सा लेती है।

राम सिंह बहुत ग़ौर से टी.वी. देख रहे थे। बजट प्रस्ताव के समाचार टी.वी. में बताये जा रहे थे। अचानक वे चिल्ला पड़े "बच गया, बच गया .....।" उनके बच्चे दौड़े आये और देखा कि पिताजी "बच गया, बच गया" कह रहे हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं पर आस-पास कोई ख़तरा नहीं दिख रहा है। उनकी पत्नी ने पूछा, "किस से बच गये, कहां है वह आदमी?" राम सिंह ने कहा, "कोई आदमी से ख़तरा नहीं है। मैं आयकर से बच गया। अभी-अभी टी.वी. में बताया है कि वर्ष 1990-91 के लिए आयकर की छूट की सीमा 18,000 से बढ़ा कर 22,000 कर दी गई है। इस से मुझे फायदा होगा क्योंकि अब मेरी वार्षिक आमदनी छूटकी सीमा के अंदर है, इसलिए आमदनी कर से बाल-बाल बचा - तो खुश क्यों न हूं।"

आयकर व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार भरता है। परन्तु यह कर केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनकी पूरे वर्ष की आमदनी 22,000 रु. से ऊपर है। तुम ने देखा कि यह 1990-91 के बजट का नियम था। इस से पहले वर्ष 1989-90 आयकर की छूट की सीमा 18,000 रु. थी। ये नियम हर साल बदले जा सकते हैं। आयकर उन लोगों पर नहीं लगाया जाता जिनकी आमदनी खेती से होती है। मानो किसी किसान के पास बहुत सारी ज़मीन है जिस

पर उसने कपास, गन्ना, गेहूं जैसी फसल लगाई है। उसकी वार्षिक आमदनी पर कोई कर नहीं है चाहे वह एक साल में कितने भी रुपए कमा ले।

अ) इन में से कौन से कर व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं और कौन से वस्तुओं पर : उत्पादन कर, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर

ब) इन में से कौन आयकर देंगे और कौन नहीं देंगे, कारण साहित बताओ :

छोटा किसान, बड़ा किसान, शहर के बाज़ार में मज़दूर, बड़ी कंपनी का मैनेजर, खेतीहर मज़दूर, बड़ा व्यापारी, सहायक शिक्षक, प्रधान मंत्री।

नीचे दी गई तालिका में आयकर की रकम और दर बताई गई हैं। यह 1990-91 के नियमानुसार है।

वार्षिक आमदनी	आयकर	दर (आमदनी का हिस्सा %)
22,000	शून्य	शून्य
25,000	600	2.4
50,000	7,600	15.2
1,00,000	27,600	27.6
2,00,000	77,600	38.6

इस तालिका को देख कर कह सकते हैं कि सभी को अपनी आय का बराबर हिस्सा आय कर में नही भरना होता है। 25,000 रु. कमाने वाला व्यक्ति 2.4% कर में देता है और 50,000 रु. कमाने वाला 15.2% कर में देता है। यह भी दिखता है कि जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे-वैसे कर की दर भी बढ़ती है। यानी अधिक आमदनी वाले को अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा कर में भरना होता है। आमदनी कर की सब से अधिक दर 50% है। यानी

कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी कमाए, अपनी आमदनी का आधे से कम हिस्सा टैक्स में देता है।

कांती की आमदनी 40,000 रु. प्रति वर्ष है और उसे 4,600 रु. आयकर देना पड़ता है। कमलेश की वार्षिक आमदनी 60,000 रु. है, उसे 11,600 रु. आमदनी कर देना पड़ता है।

1. *कौन अधिक आमदनी कर देता है?*
2. *किसे अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा कर में देना पड़ता है?*
3. *यदि कमलेश और कांती की आमदनी उतनी ही रहें पर कमलेश को 11,600 रु. के बजाए 6,000 रु. आमदनी कर देना पड़े तो कौन अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा कर में देगा। ऐसी स्थिति में अधिक आमदनी वाला अपने आमदनी का .....कम/अधिक/बराबर हिस्सा कर में दे रहा है।*
4. *आयकर के नियमानुसार अधिक आमदनी वाला अपनी आमदनी का ..... अधिक/कम/बराबर हिस्सा कर में देता है।*

निगम कर

व्यक्तिगत आमदनी कर के अलावा कारखानो या धंधे चलाने वाली कंपनियो को कर देना होता है। कंपनियों या धंधो मे आमदनी होती है। इस आमदनी मे से होने वाले सब खर्चो (कच्चा माल, वेतन आदि) को काट कर जो बचता है उसे कारखाने या कंपनी का मुनाफा कहते हैं। इस मुनाफे पर, नियमानुसार, निगम कर देना पड़ता है।

सरकार की आमदनी और उसके हिस्से

हम ने शुरू के चित्र मे देखा कि बजट मे कर की खूब बातें होती हैं। परन्तु इन करो को मिला कर सरकार को कितने पैसे मिलते हैं? केंद्रीय सरकार की आमदनी के हर रुपये मे से आठ आने से ज़्यादा इन करो से प्राप्त होता है। यानी सरकार की कुल आय का 50% से अधिक हिस्सा। इसलिए तो बजट मे करो के बारे में इतनी बातचीत होती है। यदि हम 1990-91 का बजट देखें तो पायेंगे कि 53% इन करो से प्राप्त हुआ और 47% अन्य स्रोतो से। हम चित्र द्वारा एक रुपए के हिस्सो के रूप मे इस बात को कह सकते हैं।

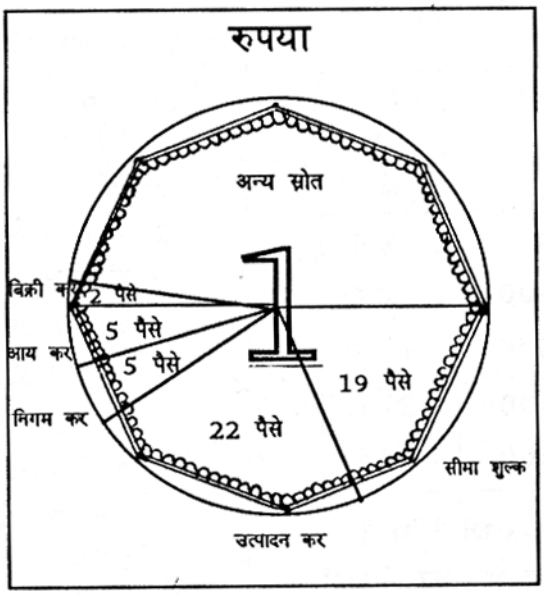

केंद्रीय सरकार की आमदनी - एक रुपए के हिस्से

आमदनीकर से सरकार की आय

सरकार को सभी करो से आमदनी होती है। सरकार को यह तय करना पड़ता है कि किसी एक कर से कितने पैसे इकट्ठा करना चाहिए।

आमदनी कर से सरकार को बहुत कम आमदनी होती है। अपने देश मे 100 मे से 65 लोग कृषि मे लगे हुए हैं। और सरकार ने कृषि से होने वाली सभी आमदनी को करो से मुक्त कर दिया है। इस तरह आमदनी कर देने के लिए वैसे भी 100 मे से 35 लोग ही बचे। इन मे से भी उन सब लोगो को आयकर नहीं देना होता जिनकी आमदनी छूट की सीमा से कम है। उदाहरण के लिए, 1983-84 मे 100 मे से केवल एक व्यक्ति को ही आमदनी कर देना पड़ा था। बहुत कम लोगों से आमदनी कर इकट्ठा किया जाता है।

आमदनी कर इकट्ठा करने मे बहुत सी दिक्कतें हैं। कई लोग अपनी पूरी आमदनी नही बताते या कम बताते हैं। इस छिपाई गई आमदनी को **काला धन** कहा जाता है। कई कारखाना मालिक, सेठ साहूकार, व्यापारी, प्राइवेट धंधे करने वाले अपनी आमदनी आसानी-से कम बता सकते हैं। जिन लोगो को हर महीने वेतन मिलता है, उनकी आमदनी का हिसाब लगाना आसान है। उनकी आमदनी पर कर सीधे ही कट जाता है। पर कई वेतन पाने वाले लोगो की आमदनी के अन्य स्रोत होते हैं जिन्हें वे छिपाते हैं। ऐसे लोग, चाहे वे कर्मचारी, अफसर, मंत्री, बाबू कोई भी हो, कई बार अपनी आमदनी सही नहीं बताते। चूंकि कृषि की आमदनी पर कोई कर नहीं होता, तो कई लोग कुछ ज़मीन रखते हैं और अन्य स्रोतो की आमदनी को उस ज़मीन से हुई ऊंची आमदनी बताते हैं।

कर की चोरी

इस तरह बहुत से लोग "कर की चोरी" करते हैं और **"काला धन"** यानी वह धन जिस पर टैक्स दिया जाना था पर नही दिया गया, इकट्ठा होता जाता है। इस काले धन को निकलवाने के लिए आयकर विभाग कई लोगो के यहां छापे मारता है। इस प्रकार आयकर से बहुत अधिक पैसा नही इकट्ठा होता। जैसा कि तुमने देखा कि सरकार की आमदनी के हर रुपए में से 5 पै. ही आयकर से मिलते हैं। वस्तुओं पर लगाए गए करो, जैसे उत्पादन कर, सीमा शुल्क व बिक्री कर से सरकार को बहुत पैसे प्राप्त होते हैं।

वस्तुओं पर कर से सरकार की आय

वस्तुओ पर कर ज़्यादा आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है चूंकि इन्हें कम जगहों से इकट्ठा करना पड़ता है। उत्पादन कर कारखानों से, बिक्री कर दुकानो से और सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बंदरगाहो से इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए करोड़ो अलग-अलग लोगो से हिसाब नही करना पड़ता। उत्पादन या बिक्री कम बता कर वस्तुओं पर करो की चोरी भी होती है। पर वस्तु छिपाना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही वस्तुओं पर कर देने वाला (कारखाना मालिक या दुकानदार) खरीदने वाले से कर के पैसे वसूल लेता है - इसलिए वह ज़्यादा आसानी से कर के पैसे दे भी देता है। इस तरह सरकार को वस्तुओं पर कर से काफी आमदनी होती है।

वस्तुओं पर कर इकट्ठा करने में क्या आसानी होती है और आयकर इकट्ठा करने में क्या दिक्कतें आती हैं?

सरकार अपनी आमदनी के हर रुपये में से कुल मिलाकर वस्तुओं पर कर से कितने पैसे वसूल करती है? (सरकार की आमदनी के एक रुपये का चित्र देख कर बताओ)।

हमने देखा कि सरकार का बजट उसकी आमदनी और खर्च का प्रस्ताव है। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा करो से प्राप्त होता है। कई अलग-अलग प्रकार के कर हैं। कुछ कर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं और कुछ कर व्यक्तियों पर। इन के बारे में हमने कुछ जाना। वस्तुओं पर लगाए गए करो का लोगो पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में आगे पढ़े।

वस्तुओं पर लगाए गए करों का असर

कोई भी कर लगाते समय सरकार यह ध्यान रखती है कि उस कर का अधिक असर गरीबों पर पड़ेगा या अमीरो पर। अमीरो पर कर का अधिक असर पड़े, इसलिए सरकार आमदनी कर में अमीरों से उनकी आमदनी का अधिक हिस्सा कर में लेती है।

वस्तुओं पर कर, जैसे उत्पादन व बिक्री कर लगाते समय अमीरो और ग़रीबो में फर्क करना मुश्किल है। कोई भी वस्तु खरीदते समय सभी को उतना ही कर देना पड़ता है चाहे वह अमीर हो या गरीब।

अनाज, सब्ज़ी, सूती कपड़ा, मिट्टी का तेल, खाने का तेल, ये चीज़ें सब से ज़रूरी हैं और अमीर-ग़रीब सभी इन्हें खरीदते हैं। किन्तु ग़रीबों की आधिकांश आमदनी इन्हीं चीज़ों पर खर्च होती है। इनके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे जैम, चॉकलेट, फ्रिज, मोटर, मोटर साइकिल, वी.सी.आर, जो अमीर ही खरीद पाते हैं। ग़रीबों के लिए ऐसी चीज़ें खरीदना संभव नही है।

कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो लोग सीधे उपयोग नही करते जैसे डीज़ल, इस्पात, अल्यूमीनियम, मशीन, ट्रक व ट्रक के टायर आदि। इनका उपयोग कई चीज़ें बनाने और लाने ले जाने में किया जाता है।

अनाज, दाल जैसी ज़रूरी चीज़ों पर सरकार कर नही लगाती क्योंकि इसका असर गरीबों पर काफी पड़ता है। सरकार फ्रिज, चॉकलेट, जैम जैसी चीजों पर ज़्यादा कर लगाती है क्योंकि इनका असर सिर्फ धनी लोगों पर पड़ता है। पर फ्रिज, चॉकलेट जैसी चीज़ें तो बहुत कम बिकती है। इन्ही पर कर लगा कर सरकार को ज़्यादा आमदनी नही हो सकती।

अगर तुम 1989-90 का हिसाब देखो तो पाओगे कि फ्रिज, एयरकंडिशनर जैसी महंगी चीजों पर सरकार ने बहुत कर लगाया पर इन से सिर्फ 183 करोड़ रुपए ही मिले। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ धनी लोग खरीदते हैं और ये कम बिकती हैं।

इसलिए सरकार कुछ ऐसी चीज़ों पर अधिक कर लगाती है जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं पर जिन्हें लोग सीधे उपयोग में नही लाते।

ये चीज़ें क्या हैं?

ये चीज़ें हैं खनिज तेल, लोहा, इस्पात, टायर व ट्यूब आदि। तुम समझ सकते हो कि ये चीज़ें कितने उद्योग, कारखानों, धंधों में उपयोग की जाती हैं। इन्हें लोग सीधे नही खरीदते। इन चीज़ों पर कर लगा कर सरकार को बहुत आमदनी मिलती है।

सन् 1989-90 में सरकार को खनिज तेल पर टैक्स लगाकर 2941 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। यह फ्रिज आदि से मिले करों से कितनी ज़्यादा है। पर क्या हम यह कह सकते है कि खनिज तेल, लोहा, इस्पात जैसी चीज़ों पर कर लगाने से ग़रीबों पर कोई असर नही पड़ता?

हमने देखा कि इस्पात, डीज़ल जैसी चीज़ों पर टैक्स बढ़ाने से उनसे बनने वाली या लाई ले जाई जाने वाली चीज़ों के दाम में ये टैक्स जुड़ जाता है। इस तरह अनाज या कपड़ा खरीदने वाले ग़रीबों को भी डीज़ल या इस्पात पर लगे टैक्स का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ने से बहुत सी चीज़ों के दाम कैसे बढ़ जाते हैं, इसका उदाहरण यह बजट आने के एक हफ्ते बाद की एक खबर में पढ़ो।

<u>नईदुनिया 25 मार्च 1990</u>

अकेले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतो में हुई वृद्धि का ही मूल्य वृद्धि पर चौतरफा असर पड़ा है। जैसे सब्ज़ी, फल, दालें, तथा अन्य खाद्य सामग्री महंगी हो गई है।

मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने का प्रभाव किन लोगों पर होगा? फ्रिज, मोटर साइकल, वी.सी.आर आदि पर कर बढ़ाने का प्रभाव किन लोगों पर होगा?

खनिज तेल या मोटर साइकल, किस पर कर बढ़ाने से अधिक पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं और क्यों?

दूसरी वस्तुओं के भाव पर ज़्यादा प्रभाव किस के द्वारा होगा-खनिज तेल पर कर बढ़ाने से या मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने से और क्यों?

हमने देखा कि सरकार को वस्तुओं पर लगाए गए करों से अधिक आमदनी होती है। वस्तुओं पर कर में भी उन वस्तुओं से अधिक कर प्राप्त होता है जिनका उपयोग अन्य चीजें बनाने में या लाने ले जाने में

किया जाता है। जब ऐसी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ता है तो उसका चौतरफा असर पड़ता है।

इसलिए हर वर्ष यह प्रश्न सभी को चिंतित करता है कि कौन से कर ज़्यादा लगने चाहिए? इस तरह हमने समझा कि वस्तुओं पर टैक्स अधिक इकट्ठा किया जा सकता है, परन्तु इसका असर ग़रीबों पर काफी पड़ता है। आमदनी कर का भार अमीरों पर अधिक पड़ता है, पर उससे सरकार को कम आमदनी हो रही है। बजट का समय इसीलिए सबके लिए बड़े महत्व का होता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. सरकार बजट द्वारा किस बात का प्रस्ताव रखती है? बजट मे टैक्स की बात क्यों की जाती है?
2. आयकर और उत्पादन कर मे क्या अंतर है?
3. तुम ने इतिहास के पाठ "मुग़ल काल के गांव" मे लगान व्यवस्था के बारे मे पढ़ा। उस समय की लगान की दर देख कर बताओ क्या अधिक आमदनी वालो को अधिक दर देना होता था? मुग़ल काल का नियम आज के आयकर के नियम से कैसे भिन्न है?
4. किन-किन कारणो से आयकर द्वारा अधिक पैसे नही इकट्ठे हो पाते?
5. (इस्पात, माचिस, घड़ी, कपड़ा, लोहा) इन मे से कौन सी वस्तुओं पर कर बढ़ाने से दूसरी बहुत सी चीज़ों के भाव पर असर होगा और क्यों?
6. खाने की साधारण चीज़े जैसे अनाज, दाल, तेल तो सभी उपयोग करते है फिर ऐसा क्यो कहा जाता है कि इन चीज़ो पर टैक्स लगाने से ग़रीबों पर अधिक असर होगा?
7. जिन चीज़ो पर कर नही लगाया जाता क्या उनके भाव नही बढ़ते है? समझाओ।
8. सभी को वस्तुओं पर लगाए गए करो से बहुत डर लगता है कि इससे कीमते बढ़ जाएंगी। पर चीजो की कीमते क्या और कारणो से भी बढ़ती है? अपनी जानकारी के अनुसार चर्चा करो।
9. सरकार को अधिक आमदनी किन करो से होती है - आमदनी कर या वस्तुओं पर कर? उसका क्या कारण है?
10. आमदनी पर कर या वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन से कर का असर अमीरो पर अधिक पड़ता है और कौन से कर का ग़रीबो पर - कारण सोचकर समझाओ।
11. नीचे दिए चित्रो मे क्या-क्या दिख रहा है? सीमा शुल्क किसे देना होता है? आयकर किन लोगो को नही देना होता है?